9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/आर–220/2025– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० रानी कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहेडी, दरभगा के दिनाक–17.09.2020 से 30 08 2023 तक की अध्ययन अवधि को विभागीय अधिसूचना सख्या–2045(2), दिनांक 30.11 2011 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आर–220/2025– 2463(2) पटना, दिनांक 6/10/2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्स–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहेडी दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी दरभंगा/ डा० रानी कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहेडी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रतिलिपिः अई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार. पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Vinay K Sinha
सरकार के उप सचिव।